समाचार

मास्क न पहनने वालों पर आज लगा 5600 रूपये का जुर्माना

(बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर निकलने वाले लोगों पर कड़ी नजर रख रहा निगम का अमला)

कोरबा 03 मई 2020 —मास्क न पहनने वाले लोगों पर आज निगम द्वारा 5600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, इस हेतु बार—बार लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले, किन्तु फिर भी लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर निकल रहे हैं। निगम अमले द्वारा इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

यहां उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके परिपालन में आयुक्त श्री राहुल देव ने पूर्व में एक आदेश जारी कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 285 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों की स्वीकृति के अधीन नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु निगम क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था तथा निगम के जोन कमिश्नरों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे लगातार इस पर कड़ी नजर रखें तथा मास्क न पहनने वालों पर अर्थदण्ड लगाएं। निगम अमले द्वारा लगातार इस पर नजर रखते हुए विगत एक पखवाड़े से अधिक समय से अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में आज भी निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 5600 रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों पर लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत 2700 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1400 रूपये तथा रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले— महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री राहुल देव ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, राज्य शासन ने भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, अतः बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले। उन्होने अपील करते हुए कहा है कि लाकडाउन के दौरान अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें एवं नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यो में अपना सहयोग दें।